क्र. .... / सचिव / श्रम विभाग
दिनांक 18/03/2026

छत्तीसगढ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

कार्यालयः गुढियारी, साहू पारा, शिव मंदिर के पास रायपुर वार्ड 26, दानवीर भामा साह पिन 492009 (छ.ग.)

@labour_morcha

khemchandsahu3256@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय

प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

खेमचंद साहू
+91 6260880624
(कृषि एवं उद्यानिकी विभाग)

हारून मानिकपुरी
(वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

रोहित कापरे
(आदिम जाति कल्याण विभाग)

राजेश कुमार सिन्हा
(गृह एवं अग्निशमन विभाग)

हीरालाल ध्रुव
(लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

दिपेश भतपहरी
(लोक निर्माण विभाग)

कुलदीप नामदेव
(जल संसाधन विभाग)

जय प्रकाश
(स्वास्थ्य विभाग)

क्र. 001 — दिनांक 17/03/2026

प्रति,

1. माननीय महामहिम राज्यपाल, श्री रमन डेका जी
2. माननीय मुख्यमंत्री, श्री विष्णुदेव साय जी
3. माननीय वित्त मंत्री, श्री ओ. पी. चौधरी जी
4. माननीय श्रम मंत्री, श्री लखन लाल देवांगन जी
5. माननीय विधि विधायी मंत्री, श्री गजेन्द्र यादव जी
6. माननीय प्रमुख सचिव, विधि विधायी विभाग, श्रीमती सुषमा सावंत जी
7. माननीय मुख्य सचिव, श्री विकास शील जी
8. माननीय सचिव, वित्त विभाग, श्री मुकेश कुमार बंसल जी
9. माननीय सचिव, श्रम विभाग, श्री हिम शिखर गुप्ता जी
10. माननीय सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री अविनाश चंपावत जी
11. माननीय सचिव–सह–श्रमायुक्त, श्रीमती अलरमेलमंगई डी जी

छत्तीसगढ़ शासन

O/C

विषयः– **4 नए श्रम कानून अंतर्गत, 48 घण्टे साप्ताहिक सेवा अवधि नियम को सुनिश्चित करने 54 विभागो में 36 हजार दैनिक श्रमिकों के सेवा अवधि की सतत पुष्टि हेतु बायो मेट्रिक अटेंडेंस तथा गूगल अटेंडेंस प्रणाली सख्ती से लागू करने बाबत।**

कार्यालय, मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य

महोदय,

लेख है कि 54 से अधिक छत्तीसगढ़ के शासकीय विभाग में बिना नियुक्ति पत्र, आवश्यकता अनुसार आकस्मिक श्रमिक के रूप में अस्थाई दैनिक मासिक पूर्णकालिक राज्य शासन के श्रमायुक्त दर का वेतन सबंधित विभाग से सीधे प्राप्त करने वाले तृतीय चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्यो में वर्षों से औद्योगिक अधिनियम अंतर्गत नियोजित लगभग 36 हजार हम श्रमिक गण वर्तमान में कार्यरत है ... अपने अधिकार अउ अपन कर्तव्य ... रहवैया संगठन ...

कार्यालय, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, ... आर्थिक सांख्यिकी विभाग

कार्यालय मंत्री
वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।

(कार्यालय)
सचिव वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग।
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय

प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

खेमचंद साहू
+91 6260880624
(कृषि एवं उद्यानिकी विभाग)

हारून मानिकपुरी
(वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

रोहित कापरे
(आदिम जाति कल्याण विभाग)

राजेश कुमार सिन्हा
(गृह एवं अग्निशमन विभाग)

हीरालाल ध्रुव
(लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

दिपेश भतपहरी
(लोक निर्माण विभाग)

कुलदीप नामदेव
(जल संसाधन विभाग)

जय प्रकाश
(स्वास्थ्य विभाग)

महोदय हमारी आप से मांग प्रार्थना है कि आप 4 नए श्रम कानून अंतर्गत साप्ताहिक निश्चित (समय अवधि 48 घण्टे कार्य) कार्यावधि के परिपालन हेतु तथा अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान, अनिवार्य अवकाश का लाभ प्रदान करने हेतु, हम समस्त दैनिक मासिक श्रमिको के लिए सबंधित कार्यालयों और कार्यस्थल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पंजीयन अनिवार्य करने का निर्देश (आगामी 1 अप्रैल 2026 से) तत्काल जारी करने की कृपा करें। हम में से बहुत से श्रमिक जो मैदानी क्षेत्र (फील्ड में) में कार्यरत है वाहन चालक, हैण्डपम्प मैकेनिक ईत्यादि काम करते है अथवा किसी दिवस कार्यलाय से बाहर कार्य हेतु भेजे जाते है तो उनके लिए अनिवार्य गूगल अटेंडेंस का निर्देश भी विशेष रूप से शामिल करने की कृपा करें।

महोदय उपरोक्त सुझाव माँग स्वीकार किए जाने पर 54 शासकीय विभागो को अनेकों लाभ होंगे, जैसे केवल नाम के आधार पर अवैध वेतन आहरण की गड़बड़ी पर सदैव के लिए रोक लग पाएगी। निजी कार्यो हेतु विभागीय वेतन से श्रमिक रखने की प्रथा पर रोक लग सकेगी। अन्य जिले से वेतन आहरण, अन्य जिले में कार्य पर श्रमिक रखने की अनियमितता पर पूर्ण विराम लगेगा। श्रमिको के निश्चित समय तक कार्य करने से श्रमिक के क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगा, प्रतिदिन 8 घण्टे के स्थान पर 12–12 घण्टे सेवा किसी अनियमित श्रमिक से लिया जाना संभव नही होगा, जिससे श्रमिकों का शोषण बन्द होगा। यदि अधिक अवधि तक कार्य लिया जाएगा तो उन्हें अधिक वेतन लाभ के संग अवकाश का लाभ भी मिल पाना इससे संभव होगा।

महोदय 48 घण्टे सेवा अवधि पूर्ण करने हेतु यदि शनिवार को भी दैनिक मासिक श्रमिको को कार्य स्थल, कार्यालयों में उपस्थित रहना होगा हम सब इस हेतु सहर्ष तैयार है। इससे प्रदेश के 54 शासकीय विभागों में शासकीय कार्य योजनाओं पर तेजी से क्रियान्वन संभव हो सकेगा। नए श्रम कानून में 15 मिनट और 30 मिनट अधिक कार्य को भी ओवर टाइम की श्रेणी में रखा गया है, नए श्रम कानून में लंच अवधि को काम के घण्टे में शामिल रखा गया है जो बेहद सराहनीय मानवीय पहल है। अतः गूगल अटेंडेंस और बायोमैट्रिक अटेंडेंस दैनिक श्रमिकों हेतु अनिवार्य किया जाना बेहद जरूरी है, हमारे उपरोक्त माँग की स्वीकृति होती है तो प्रदेश के 54 विभागों में नए श्रम सहिता पश्चात बढ़े हुए पारिश्रमिक (वेतन वृद्धि) सार्थकता सुनिश्चित हो सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

कार्यालय: गुढियारी, साहू पारा, शिव मंदिर के पास रायपुर वार्ड 26, दानवीर भामा साह पिन 492009 (छ.ग.)

@labour_morcha

khemchandsahu3256@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय

प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

खेमचंद साहू
+91 6260880624
(कृषि एवं उद्यानिकी विभाग)

हारून मानिकपुरी
(वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

रोहित कापरे
(आदिम जाति कल्याण विभाग)

राजेश कुमार सिन्हा
(गृह एवं अग्निशमन विभाग)

हीरालाल ध्रुव
(लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

दिपेश भतपहरी
(लोक निर्माण विभाग)

कुलदीप नामदेव
(जल संसाधन विभाग)

जय प्रकाश
(स्वास्थ्य विभाग)

महोदय श्रमिकों के वेतन भुगतान हेतु जारी किए जाने वाले वाउचर पेमेंट, मस्टर रोल पेमेंट, हैंड रिसिप्ट पेमेंट, A रोल पेमेंट के माध्यम से होने वाले फर्जी श्रमिक वेतन भुगतान के राजस्व क्षति की 100% बचत आधार नम्बर आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस अन्य ऐप से ही संभव है।

सहपत्र:– **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

K.C Sahu

खेमचंद साहू
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

गीता यादव	अजय त्रिपाठी	पंकज पाण्डेय	आकाशदीप राठौर	हारून मानिकपुरी
रोहित कापरे	राजेश कुमार सिन्हा	हीरालाल ध्रुव	दिपेश भतपहरी	कुलदीप नामदेव

जय प्रकाश

"अपन अधिकार अउ अपन कर्तव्य दुन्नो बर आगू रहवैया संगठन"

Scanned with OKEN Scanner